



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2017-18

निकरानी-6432/2018/देवास/भू-218

ओमप्रकाश मृत बजाय वारिसान

- 1- रमाकांत आत्मज स्व. ओमप्रकाश आयु 42 वर्ष, लगभग, जाति कुलमी, धंधा कृषि, निवासी बायपास रोड़, ग्राम नेवरी, तहसील हाट पिपलिया, जिला देवास।
- 2- हंसाबाई विधवा स्व. ओमप्रकाश आयु 60 वर्ष, लगभग, जाति कुलमी, धंधा कृषि, निवासी बायपास रोड़, ग्राम नेवरी, तहसील हाट पिपलिया, जिला देवास।
- 3- श्रीमती कौशलया पिता स्व. ओमप्रकाश, पति त्रिलोकचंदजी पाटीदार, आयु 42 वर्ष लगभग, जाति कुलमी, धंधा गृहकार्य, निवासी ग्राम राजौदा, तहसील व जिला देवास।

— याचिकाकर्तागण
विरुद्ध

रामनारायण आत्मज कालूजी कुलमी, आयु लगभग 88 वर्ष, धंधा खेती, निवासी ग्राम नेवरी, तहसील हाट पिपलिया, जिला देवास (म.प्र.)

— अनावेदक


माननीय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त राजस्व आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 595/2015-16 अपील ओमप्रकाश विरुद्ध नारायण वाले शीर्षक में पारित विवाद्य आदेश दिनांकित 25-09-2018 से असंतुष्ट होकर धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका।

मान्यवर महोदय,

याचिकाकर्तागण की ओर से पुनरीक्षण याचिका का स्मृति-लेख निम्नलिखित प्रस्तुत है:-

संक्षिप्त तथ्य

- 1- यह कि रेस्पान्डेन्ट रामनारायण पिता कालूजी कुलमी, निवासी ग्राम नेवरी, तहसील हाट पिपलिया, जिला देवास द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 03-01-2014 को



604
30-10-18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

13

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-6432/2018/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01/08/2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 25.09.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	